

आपके आधार के निष्क्रिय होने का खतरा

UIDAI ने आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट करने के लिए कई ऑप्शन्स दे रखे हैं। हालांकि, आधार कार्ड बनने के बाद कई जरूरी चीजों में काम आता है, इसके बावजूद अगर आप इसे यूज नहीं करते तो यह डीएक्टिवेट हो सकता है। हालांकि, इससे बचने के कई तरीके हैं जो आपको ऐसी परिस्थिति से बचा सकते हैं और उसमें सबसे जरूरी है इसका समय-समय पर उपयोग करना।

दरअसल, आधार हर काम के लिए जरूरी है लेकिन UIDAI के अधिकारियों का कहना है कि अगर आप लगातार तीन साल तक किसी कारण से अपना आधार कार्ड यूज नहीं करते हैं तो यह डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसका उपयोग तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक यह रिएक्टिवेट नहीं होता।

अधिकारियों के अनुसार लगातार तीन लगातार साल तक आपने अपने आधार का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी आपने इसे किसी बैंक खाते या पैन से लिंक नहीं किया है या ईपीएफओ को आधार डिटेल्स देने से लेकर पेंशन क्लेम करने जैसे दूसरे लेनदेन में इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपका आधार डीएक्टिवेट किया जा सकता है। यानी की आपका आधार बंद हो सकता है।

यू करें चेक एक्टिवेट है या नहीं

आप भी अपना आधार नंबर चेक करना चाहते हैं कि यह एक्टिवेट है या नहीं तो आपको UIDAI वेबसाइट (uidai.gov.in) के होमपेज पर जाना होगा। ययहां आधार सर्विसेज टैब के नीचे वैरिफाई आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा। यहां अपना नंबर और कैप्चा कोड डालकर क्लिक करने पर आपके आधार की जानकारी सामने आ जाएगी। ऐसा करने के बाद अगर हरे रंग का सही का निशान आता है, तो मतलब है कि आपका आधार एक्टिव है।

हो गया है डीएक्टिवेट तो आधार को ऐसे करें एक्टिवेट

अगर आपका आधार एक्टिवेट नहीं है तो आपको संबंधित दस्तावेजों के साथ करीब के एनरॉलमेंट सेंटर जाना होगा। आपको वहां आधार अपडेट फॉर्म भरना होगा और आपके बायोमीट्रिक्स दोबारा वैरिफाई किए जाएंगे और उन्हें अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेशन के लिए आपको एनरॉलमेंट सेंटर में 25 रुपए की फीस भी देनी होगी।